संख्या–195 प0अ0/2004–46 पर्य0/2003

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तराचंल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादूनःदिनांक 18 मार्च ~~फरवरी~~, 2004

विषय–रैन बसेरा, चमोली, नीलकंठ एवं श्रीनगर के अवशेष कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–659/2–6–285/2003 दिनॉक 28 मार्च, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय रैन बसेरा चमोली, नीलकंठ एवं श्रीनगर के अवशेष कार्यो हेतु रू0 79.21 लाख के आगणनों के सापेक्ष्य टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रूपये 68.50 लाख (रूपये अढ़सठ लाख पचास हजार मात्र) के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 में निम्न विवरणानुसार इतनी ही धनराशि को डिपाजिट के रूप में कार्य कराने हेतु आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	योजना का नाम	मूल आगणन	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2003–04 में स्वीकृत धनराशि
1–	रैन बसेरा, चमोली	39.45	33.93	33.93
2–	रैन बसेरा-नीलकंठ	3.00	2.48	2.48
3–	रैन बसेरा, श्रीनगर	36.76	32.09	32.09
	कुल योग :–	79.21	68.50	68.50

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हैं की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– उक्त रैन बसेराओं का संचालन जी0एम0वी0एन0 के माध्यम से गढ़वाल विश्वविघालय के प्रशिक्षित छात्रों के द्वारा किया जायेगा और इसके संचालन हेतु शासन द्वारा कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी।

9– रैन बसेरा चमोली हेतु स्वीकृत रू0 33.93 लाख की धनराशि इस शर्त के अधीन व्यय किया जायेगा कि निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व उक्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण कर लिया जाय तथा पूर्व स्वीकृति निर्माण कार्य हेतु संम्बन्धित अधिकारीं/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय एवं पूर्व स्वीकृति धनराशि का मदवार व्यय विवरण/भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध कराते हुये अब स्वीकृत धनराशि रू0 33.93 लाख का दिनांक 31–3–04तक पूर्व उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एव भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल पर आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एम मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि के उपरान्त लागत में कोई भी पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

12– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तााि उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। व्यय करते समय टैण्डर/ कुटेशन विषयक नियमों का पालन किया जायेगा।

13– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

14– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संवर्द्धन तथा प्रचार–12–कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री की यात्रा सेवाओं में सुधार चालू योजना–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

15– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–2805 /वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 10 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004–46 पर्य/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
5– जिलाधिकारी, चमोली/पौड़ी/देहरदून।
6– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली/पौड़ी/देहरादून।
7– प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
8– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
9– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
10– वित्त अनुभाग–3।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एन0 प्रसाद)
सचिव।